न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

संख्या:– 28/2019

कुमावत पुत्र स्व0 श्री आनन्दीलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी फुलेरा जिला जयपुर
न।

अपीलार्थी

बनाम

दार तहसील फुलेरा मुख्यालय सांभर लेक जिला जयपुर राजस्थान।

प्रत्यर्थी

ल अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2004 न्यायालय सीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा नामान्तकरण सं0 709 के द्वारा अपीलार्थी के पिता का नाम विलोपित कर नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश

निर्णय दिनांक:– 26·8·19

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय आनन्दीलाल पुत्र
के द्वारा खसरा नंबर 727, 728, 729 किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम
वर्तमान में बबेरवालों की ढाणी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त आराजी के
जगन्नाथ, छीतर से दिनांक 11.01.1972 को पंजीयन करवाया गया था जिसके
उक्त आराजी आनन्दीलाल पुत्र भींवाराम की खातेदारी में दर्ज थी तथा खातेदार
लाल द्वारा उक्त आराजी का एक वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 10.12.2004
यन करवाया तत्पश्चात खातेदार आनन्दीलाल की दिनांक 31.10.2005 को मृत्यु हो गई
रासत अनुसार उक्त आराजी पर अपीलार्थी काबिज काश्त है उक्त आराजी कभी मन्दिर
नित्व व आधिपत्य की नहीं रही इसके बावजूद प्रत्यार्थी तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को
सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नगत नामान्तकरण के द्वारा एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी के
आनन्दीलाल की खातेदारी विलोपित कर दी गई।

आराजी खसरा नंबर 727 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0 चाह, 728 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0चाह,
कबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1708 रकबा 6 बीघा 14 बिसवा किता 4 कुल रकबा
घा 2 बिस्वा वाके ग्राम जोबनेर का पर्चा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया उस
उक्त आराजी राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिहं की जागीरदारी में दर्ज थी तथा उक्त
के 1/2 हिस्से पर जगन्नाथ व छीतर बहैसियत खातेदार काबिज थे इस कारण उक्त
माफी मन्दिर बिहारी व जगन्ना व छीतर पिसरान रामकुवार कौम ब्राहम्ण बहिस्सा
अर्थात 1/2, 1/2 हिससे अनुसार संवत 2011 से 2029 की खतौनी बन्दोबस्त
दी में दर्ज की गई इस प्रकार पर्चा जारी करने के कब्जे काश्त का था, उससे माफी
बिहारी जी का कोई संबंध नहीं था।

एकीकरण विभाग द्वारा संवत 2019 में दर्ज की गई खतौनी एकीकरण जमाबन्दी में भी

जगन्नाथ व छीतर का मालिकाना हक रहा जिससे मन्दिर माफी का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा तथा मन्दिर माफी की 1/2 हिस्से की आराजी से खातेदार जगन्नाथ व छीतर का कोई संबंध नही रहा। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है।

खातेदार जगन्नाथ व छीतर ने अपनी 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नंबर 727 रकबा 3 बिस्वा, 728 रकबा 2 बिस्वा , 729 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा का विभाजन करवाकार खातेदारी में अलग इन्द्राज करवा दिया तथा खसरा नंबर 1708 की आराजी माफी मन्दिर के नाम अलग खातेदारी में दर्ज की गई। जिसके बाद खातेदार जगन्नाथ व छीतर ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 727, 728, 729 की आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1972 को अपीलार्थी के पिता आनन्दीलाल पुत्र भींवाराम कुमावत के नाम पंजीयन करवाया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में क्रेता आनन्दीलाल का नाम जमाबन्दी संवत 2045 से 2064 में दर्ज रहा जिसका उपयोग उपभोग खातेदारी आनन्दीलाल द्वारा उक्त आराजी का एक वसीयतनाम अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 10.12.2004 को उप पंजीयक जयपुर प्रथम के समक्ष पंजीयन करवाया जिसके पश्चात दिनांक 31.10.2005 को खातेदार आनन्दीलाल की मृत्यु के बाद विरासत अनुसार वसीयत के आधार पर अपीलार्थी उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है।

नामान्तकरण संख्या 709 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.12.1991 व जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.03.2003 तथा देव स्थान के आदेश दिनांक 06.03.03 को आधारित कर स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश विवादित आराजी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि 13.12.1991 के आदेश में पुजारियों या सेवायतों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी अनुसार देव स्थान के आदेश दिनांक 06.03.03 में भी पुजारियों अथवा व्यवस्थापकों का अंकन किया है। उक्त दोनों आदेशानुसार जमाबंदी में दर्ज खातेदारी के अनुसार विवादित आराजी मंदिर की खातेदारी की नहीं है। बल्कि जगन्नाथ व छीतर की खातेदारी की है। जिनको उक्त आराजी जागीरदार नरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई थी। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर जगन्नाथ व छीतर काबिज काश्त होने के कारण पर्चा सेटलमेन्ट में बहिस्सा बराबर जारी किया गया था। जो भूमि एकीकरण के समय बदस्तूर दर्ज था। इसके बावजूद तहसीलदार व उसके कर्मचारियों ने खातेदार आनन्दीलाल व अपीलार्थी को नामान्तकरण स्वीकृति से पूर्व कोई सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया।

अन्त में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 709 की स्वीकृति का आदेश दिनांक 29.06.2004 निरस्त किया जावे।

अपीलार्थी ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को कथित नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.07.2019 को तब हुई जब अपीलार्थी वसीयत के आधार पर खातेदारी में इन्द्राज करवाने हेतु हल्का पटवारी को निवेदन किया। पटवारी द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी के पिता का नाम विलोपित कर दिया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा कर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

रजिस्ट्री दिनांक 13.11.1971 की फोटो प्रति, मृत्यु

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को तामील नोटिस जारी किये गये। सरकार पैरोकार उपस्थित हुए।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1972 को अपीलार्थी के पिता आनन्दीलाल पुत्र भींवाराम कुमावत के नाम पंजीयन करवाया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में क्रेता आनन्दीलाल का नाम जमाबन्दी संवत 2045 से 2064 में दर्ज रहा। विवादित आराजी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि 13.12.1991 के आदेश में पुजारियों या सेवायतों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी अनुसार देव स्थान के आदेश दिनांक 06.03.03 में भी पुजारियों अथवा व्यवस्थापकों का अंकन किया है। उक्त दोनों आदेशानुसार जमाबंदी में दर्ज खातेदारी के अनुसार विवादित आराजी मंदिर की खातेदारी की नहीं है। अतः नामान्तकरण संख्या 709 की स्वीकृति का आदेश दिनांक 29.06.2004 निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार फुलेरा ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.12.1991 व जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.03.2003 तथा देव स्थान के आदेश दिनांक 06.03.03 की पालना में विधिअनुसार नामान्तकरण संख्या 709 स्वीकृत किया गया है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार जगन्नाथ व छीतर ने अपनी 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नंबर 727 रकबा 3 बिस्वा, 728 रकबा 2 बिस्वा, 729 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 11.01.1972 को पंजीयन करवाया था, जिसके पश्चात उक्त आराजी आनन्दीलाल पुत्र भींवाराम की खातेदारी में दर्ज हो गई। राजस्व अभिलेखों में क्रेता आनन्दीलाल का नाम जमाबन्दी संवत 2045 से 2064 में दर्ज रहा। तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलोच्य नामान्तकरण संख्या 709 स्वीकृत किया गया। न्यायहित में तहसीलदार को अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करनी चाहिए थी।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 709 आदेश दिनांक 29.06.2004 को अपीलमीमो में वर्णित खसरा नंबर 727, 728 एवं 729 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को गुणावगुण से निस्तारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर